

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/

दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	पे मेट्रिक्स लेवल
1.	श्री महावीर प्रसाद छीपा वरिष्ठ सहायक, बाडमेर।	28.06.2000	18 वर्ष	28.06.2018	एल-9
2.	श्री भीक सिंह राजपुरोहित, वरिष्ठ सहायक, पाली।	03.10.1991	27 वर्ष	03.10.2018	एल-11
3.	श्री भूराराम प्रजापत, वरिष्ठ सहायक, पाली।	28.09.1991	27 वर्ष	28.09.2018	एल-11

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक : 08/08/19

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/310

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर/पाली।
2. सहायक औषधि नियंत्रक, पाली।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धोरीमना, बाडमेर।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, रोहट, पाली।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर